संदर्भ शर्तें
सीनियर कनसल्टेंट - ब्लड सेल (एनएचएम), स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय

राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रणाली संसाधन केंद्र (एन.एच.एस.आर.सी.), नई दिल्ली स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की तरफ से उपर्युक्त उल्लेखित पद के लिए विशुद्ध रूप से अनुबंध आधार पर योग्य एवं शिक्षित उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित करता है।

भूमिकाएं और जिम्मेदारियां :

सीनियर कनसल्टेंट, ब्लड सेल निम्नलिखित कार्यों के लिए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय में एन.एच.एम. के अंतर्गत ब्लड सेल का समर्थन करेगा :–

- पी.आई.पी. प्रस्तावों की निगरानी के माध्यम से राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों की सहायता करना तथा राज्यों और राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रणालियों के अनुरूप ऐच्छिक गैर–परिलब्धियुक्त डॉनर्स (वी.एन.आर.डी.) पर अधारित सुरक्षित रक्त और रक्त उत्पादों (देश के दूरदराज क्षेत्रों में सुरक्षित और गुणवत्तापूर्ण रक्ततक पहुंच सहित) में आत्मनिर्भरता हासिल करने के आर.ओ.पी. अनुमोदन।
- राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के साथ विधिवत समन्वय से रक्त सेवाओं और हेमोग्लोबिनोपैथीज, हेमोफिलिया इत्यादि जैसे विकारों (जिनके लिए एन.एच.एम. के तहत राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को समर्थन उपलब्ध कराया जाता है) के स्वीकृत नीति दिशानिर्देशों को लागू करना।
- प्रभावी एवं टिकाऊ राष्ट्रीय रक्त एवं प्लाज्मा कार्यक्रम विकसित करने की दिशा में एन.एच.एम./स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय को तकनीकी सुझाव देना तथा राज्य विशिष्ट नीतियों विकसित करने के लिए एन.एच.एम. के जरिए राज्यों को आवश्यक सहायता उपलब्ध कराना।
- हेमोग्लोबिनोपैथीज से बचाव और नियंत्रण के लिए दिशानिर्देश लागू करना और कानून तथा प्रभावी एवं टिकाऊ हेमोग्लोबिनोपैथीज कार्यक्रम विकसित करना।
- राष्ट्रीय रक्त सेवाओं के कार्यान्वयन की निगरानी, एफ.आर.यू.एस. में रक्त भंडारों सहित नियमों के अनुसार जिलों में रूधिर बैंक स्थापित करने के लिए राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों से पी.आई.पी. प्रस्ताव प्राप्त करने और रूधिर बैंकों एवं रक्त भंडार केंद्रों के बीच संपर्क सुनिश्चित करने के जरिए राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों की सहायता करना।
- जहां कहीं आवश्यक हो रक्त सेवाओं, रक्त विकारों और स्टेम सेल संबंधी विनियामक मुद्दों से निपटने वाली एजेंसियों के साथ समन्वय करना।
- रक्त सेवाओं और रक्त विकारों के लिए अपनी पी.आई.पी. में कार्य योजनाएं एवं कैलेंडर तैयार करने में राज्यों की सहायता करना।
- रक्त दान/रक्त एवं रक्त उत्पादों/रक्त के औचित्यपूर्ण उपयोग और हेमोग्लोबिनोपैथीज से बचाव और प्रबंधन के लिए जागरूकता कार्यक्रम एवं कार्यशाला संचालित करने के लिए पी.आई.पी. प्रस्ताव प्राप्त करने में राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों की सहायता करना।
- रक्त सेवाओं के कार्यान्वयन और रक्त विकारों से निपटने में राज्यों की प्रगति की निगरानी के लिए ई–रक्तकोश इत्यादि जैसे आई.टी. समाधान सहित व्यवस्था सृजित करने में सक्षम होना।
- रक्त और रक्त उत्पादों की आसानी से उपलब्धता के लिए रक्त बैंक का नेटवर्क बनाने की दिशा में पी.आई.पी. प्रस्ताव प्राप्त करने के जरिए राज्यों की सहायता करना।

किए जाने वाले कार्यो की रूपरेखा :

i. उपर्युक्त भूमिकाओं और जिम्मेदारियों से संबंधित सभी कार्य
ii. ए.एस. और एम.डी. (एन.एच.एम.)/संयुक्त सचिव (नीति)/निदेशक – एन.एच.एम.) द्वारा समय–समय पर सौंपे गए अन्य कार्य।

योग्यता मानदंड :

एम.बी.बी.एस. + एम.डी. (पैथोलॉजी / बायोकेमिस्ट्री / माइक्रोबायोलजी) के साथ ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन में न्यूनतम 01 वर्ष का अनुभव

या

एम.बी.बी.एस. + एम.डी. (ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन) / डी.एन.वी. (ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन) के साथ न्यूनतम 01 वर्ष का अनुभव

या

एम.बी.बी.एस. + ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन / ब्लड बैंकिंग में न्यूनतम 05 वर्ष का अनुभव

आयु : अधिकतम आयु सीमा 55 वर्ष आवेदन प्राप्त होने की तिथि को

परिलब्धियों की सीमा : रु. 90,000/- से 1,50,000/- के बीच प्रति माह

नियंत्रण अधिकारी : ब्लड सेल प्रभारी, एन.एच.एम.

अवकाश : एन.पी.एम.यू. कनसल्टेंट्स के लिए लागू अनुसार

यात्रा पर टी.ए./डी.ए. का अधिकार : एन.पी.एम.यू. कनसल्टेंट्स के लिए लागू टी.ए./डी.ए.

मानक आचरण :

i. सीनियर कनसल्टेंट हर समय कार्य करने और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के साथ व्यवहार में पूरी तरह प्रोफेशनल दृष्टिकोण बनाए रखेगी तथा विनम्र ढंग से बर्ताव करेगी और किसी भी तरह से अनैनिक एवं कदाचार में लिप्त नहीं होगी।

ii. सीनियर कनसल्टेंट किसी ऐसी गतिविधि में शामिल नहीं होगी जो मंत्रालय में तैनात समान कनसल्टेंट के लिए लागू आचरण के असंगत हो।

iii. सीनियर कनसल्टेंट यह भी सुनिश्चित करती है कि वह किसी गतिविधि में शामिल नहीं होगी जो स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के हित में अवांछनीय या हानिकारक मानी जाती हैं। यदि उसे ऐसी गतिविधि में शामिल पाया जाता है तो तुरंत प्रभाव से स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के साथ उसकी सेवाएं समाप्त कर दी जाएंगी।

iv. सीनियर कनसल्टेंट यह वचन भी देती है कि नियुक्ति के दौरान वह स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय में रिपोर्टिंग अधिकारी से विशिष्ट लिखित अनुमति के बिना अनुपस्थित नहीं रहेगी या सेवाओं का प्रावधान समाप्त नहीं करेगी।

v. नियुक्ति के दौरान सीनियर कनसल्टेंट स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के सक्षम प्राधिकार की अनुमति लिए बिना किसी व्यक्तिगत, बिजनस या प्रोफेशनल गतिविधि में शामिल नहीं होगी।

आवेदन करने के लिए: अभ्यर्थियों से अनुरोध है कि वे एनएचएसआरसी की वेबसाइट (http://nhsrcindia.org) पर उपलब्ध आवेदन को ठीक से भरें। आवेदन केवल निर्धारित ऑनलाइन आवेदन प्रारूप में ही स्वीकार किए जाएंगे। आवेदनों को प्राप्त करने की अंतिम तिथि **04-Oct-2022** है।